छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री **सतीश के. अग्निहोत्री**

रिट याचिका(सेवा) क्र. 1621/2011

याचिकाकर्ता : शिव कुमार तिवारी व अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के तहत रिट याचिकाएँ

उपस्थित:

श्री पराग कोटेचा याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री. य. स. ठाकुर, उप महाधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी क्र. 1 और 4 की ओर से।

आदेश (मौखिक)

(25 मार्च, 2011 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता उत्तरवादीगण को निर्देश देने की मांग करता हैं कि वे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में शिक्षा कर्मी ग्रेड **III** के पद पर नियुक्ति आदेश जारी करें और याचिकाकर्ताओं को सभी परिणामी लाभ प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादी क्र. 1 को निर्देश देने की मांग करते है, कि वह उत्तरवादी क्र. 3 के अवैध, मनमाने और दुर्भावनापूर्ण कृत्य के विरुद्ध जांच करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि शिक्षा कर्मी ग्रेड **III** के पद पर चयन के लिए विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ताओं इस परीक्षा में सफल हुए, क्योंकि उनके नाम विज्ञान और कला संकाय की प्रवीण सूची में शामिल था। विज्ञान विषय में 75 रिक्त पदों और कला विषय में 15 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। तदनुसार, याचिकाकर्ता काउंसलिंग में उपस्थित हुए। याचिकाकर्ताओं ने 3 फरवरी 2011 और 4 फरवरी 2011 को उत्तरवादी क्र. 2 के समक्ष आवेदन

किया था। हालांकि, इसके बाद उनकी कोई नियुक्ति नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं ने एक सूची (अनुलग्नक पृष्ठ 5) प्रस्तुत की है, जो उनके अनुसार उनके मोबाइल फोन से फोटो खींचकर प्राप्त की गई थी। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को भी अभ्यावेदन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोटेचा ने निवेदन किया कि जब स्पष्ट रूप से रिक्त पद उपलब्ध थे और याचिकाकर्ता चयन सूची के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र पाए गए थे, तब उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति आदेश जारी न करना मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण है। श्री कोटेचा ने आगे निवेदन किया कि उत्तरवादी प्राधिकारी उन याचिकाकर्ताओं को शिक्षा कर्मी ग्रेड **III** के पद पर नियुक्ति के अवसर से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके नाम योग्यता सूची में शामिल हैं। श्री कोटेचा ने यह भी तर्क दिया कि स्पष्ट रूप से पदों की उपलब्धता के बावजूद उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित करने का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया है। अपने तर्क के समर्थन में, श्री कोटेचा ने *ईस्ट कोस्ट रेलवे एवं अन्य बनाम महादेव अप्पा राव एवं अन्य*[1] तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 2010 एआईआर एससीडब्लू 4210

यादवनरा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य[2] के मामलों का अवलंब लिया है।

4. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी क्र. 1 और 4 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर ने यह तर्क दिया कि यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी उम्मीदवार को भले ही उसका नाम चयन सूची में हो, नियुक्ति का कोई अविभाज्य अधिकार नहीं होता दूसरी ओर चयन सूची की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। श्री ठाकुर आगे तर्क देते हैं कि, सिवाय स्वयं के कथन के आधार को छोड़कर, दुर्भावना, भेदभाव या मनमानी का आरोप किसी भी और दस्तावेज़ या सामग्री से सिद्ध नहीं हो रहा। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ताओं से कम अंक या योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया हो या कानून का कोई उल्लंघन हुआ हो। दुर्भावना को विधिवत रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, न कि केवल याचिका में साधारण कथन के आधार पर। इस प्रकार, याचिकाकर्ता इस याचिका में मांगी गई किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं हैं। अपने तर्क के समर्थन में, श्री ठाकुर *एस.एस. बालू और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य*[3] पर अवलंब किया हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] एआईआर 1999 एससी 3373
[3] (2009) 2 एससीसी 479

5. *जय सिंह दलाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*[4] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जिसमें समान तथ्य विचाराधीन थे, निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "7. शंकरसन डैश बनाम भारत संघ मामले में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने दोहराया कि भले ही नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई हो और पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार पाए गए हों, सफल उम्मीदवारों को मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति का कोई अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह बताया गया कि सामान्यतः अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने का आमंत्रण मात्र होती है और उनके चयन पर उन्हें पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। राज्य का कोई कानूनी दायित्व नहीं है कि वह उस उद्देश्य के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करके सभी या किसी भी रिक्ति को भरे। यद्यपि, राज्य को सद्भावना से कार्य करना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्वक या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[4] 1933 पूर्वोक्त (2) एससीसी 600

मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। संविधान पीठ ने सुभाष चंद्र मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय का अवलंब किया। इसलिए, यह कानून स्थापित है कि नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को भी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है और राज्य सरकार के लिए यह खुला है कि वह बाद में पदों को न भरे या संशोधित मानदंडों पर नए सिरे से चयन और नियुक्ति का सहारा ले।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय, *अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन और अन्य बनाम ए.आर्थर जीन और अन्य* [5] में,

"10. मात्र उम्मीदवारों के नाम अनंतिम चयन दर्शाने वाली पैनल में शामिल किए जाने से उन्हें मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध भी नियुक्ति का कोई अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है और राज्य पर सभी या किसी भी रिक्ति को भरने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने शंकरसन डैश बनाम भारत संघ के पूर्व

[5] (2001) 6 एससीसी 380

मामलों का संदर्भ देते हुए निर्धारित किया है। उक्त निर्णय का पैरा 7 इस प्रकार है: (एससीसी पृष्ठ 50-51)

"7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए रिक्तियों की संख्या अधिसूचित की जाती है और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति का एक अविभाज्य अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसे वैध रूप से नकारा नहीं जा सकता। सामान्यतः अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने का आमंत्रण होती है और उनके चयन पर उन्हें पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक संबंधित भर्ती नियमों में ऐसा संकेत न हो, राज्य सभी या किसी भी रिक्ति को भरने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य को मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट प्राप्त है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से सद्भावनापूर्वक लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरी जाती हैं, तो राज्य भर्ती

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परीक्षा में परिलक्षित उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा इस सही स्थिति का लगातार पालन किया गया है और हमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाहा, नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य या जतिंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य के निर्णयों में कोई असहमति नहीं मिलती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. *आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम डी. दस्तगिरी और अन्य*[6] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मताभिव्यक्त किया:

"4...चयन सूची के प्रकाशन के अभाव में, हम यह मानने को इच्छुक हैं कि चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। चाहे जो भी हो, यदि चयन प्रक्रिया पूर्ण भी हो गई हो और यह मान लें कि केवल चयन सूची का प्रकाशन शेष है, तो भी इससे उत्तरवादीगण के मामले को कोई बल नहीं मिलता है।" इसका सीधा सा कारण यह है कि चयनित उम्मीदवारों को भी, जिनके नाम चयन सूची में शामिल हैं, चयन सूची के

[6] (2003) 5 एससीसी 373

आधार पर नियुक्ति का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता। राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का पूरा अधिकार था कि वह राज्य में शराबबंदी लागू करे या न करे। निश्चित रूप से, सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार था। यदि राज्य में शराबबंदी लागू करने के नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप आबकारी विभाग में कांस्टेबलों की भर्ती की आवश्यकता नहीं है, तो कोई भी यह आग्रह नहीं कर सकता कि उम्मीदवारों को आबकारी कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाए। उत्तरवादीगण का यह दावा नहीं है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तरवादीगण को नियुक्ति देने से इनकार करने में अपीलकर्ताओं की ओर से कोई दुर्भावना थी। उनका एकमात्र दावा यह था कि उत्तरवादीगण को आबकारी कांस्टेबल के रूप में नियुक्त न करने की अपीलकर्ताओं की कार्रवाई मनमानी थी। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, जब सरकार के पास नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार था, तो हमें यह समझ में नहीं आता कि उत्तरवादी सरकार की कार्रवाई को मनमाना कैसे कह सकते हैं, विशेष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूप से तब जब उन्हें नियुक्तियों का दावा करने का कोई अधिकार ही नहीं था।"

8. *निदेशक, एससीटीआई चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं अन्य बनाम एम. पुष्करन*[7] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"11. इस संबंध में लागू कानून न तो संदेह में है और न ही विवादित। किसी व्यक्ति का नाम चयन सूची में होने मात्र से ही उसे नियुक्ति देने का कोई आधार नहीं बनता। चयन सूची में शामिल व्यक्ति को इस संबंध में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बशर्ते राज्य द्वारा सद्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई हो... "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"16. अतः यह स्पष्ट है कि चयनित व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और उच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सामान्यतः नियोक्ता की ओर से दुर्भावना या मनमानी के किसी भी दावे या प्रमाण के अभाव में कोई रिट जारी करने

[7] (2008) 1 एससीसी 448

का निर्देश नहीं देगा। इसलिए प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।"

9. *मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम संजय कुमार पाठक*[8] और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी प्रस्तुत किए:

"18.....यद्यपि यह सर्वविदित है कि चयनित व्यक्तियों के नाम चयन सूची में दिखाई देते हैं, लेकिन केवल इससे ही कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता, जब तक कि राज्य की कार्रवाई अनुचित, तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण न पाई जाए। अतः, राज्य, सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, चयनित सूची में से भी किसी चयनित (उम्मीदवार) को नियुक्त न करने का निर्णय लेने का हकदार है....

24. पित्त नवीन कुमार बनाम राजा नरसैया ज़ंगिटी में इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 273, पैरा 32)

"32. इस संबंध में मौजूदा कानूनी स्थिति विवादित नहीं है। किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई कानूनी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[8] (2008) 1 एससीसी 456

अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार, उसे केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। यद्यपि सामान्यतः किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार के मामले पर विचार मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक है, लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन उस स्थिति में आवश्यक होगा जहां नियम संबंधित उम्मीदवारों के लिए ही प्रतिकूल हों, अन्यथा नहीं। इस प्रकार की स्थिति में, चयन सूची के अभाव में राज्य द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। राज्य स्वयं को चयन समिति के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इसके अलावा, सामान्यतः, किसी कानूनी अधिकार के अभाव में, रिट न्यायालय को केवल सहानुभूति के आधार पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।"

10. *राखी राय और अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य* [9]के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

[9] (2010) 2 एससीसी 637

"24. चयन सूची में नाम आने वाले व्यक्ति को नियुक्ति का कोई अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं होता। सूची में नाम होना अधिकतम नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त है और यह अपने आप में चयन नहीं है या नियुक्ति का कोई निहित अधिकार उत्पन्न नहीं करता है। रिक्तियों को वैधानिक नियमों के अनुसार और संवैधानिक आदेश के अनुरूप भरा जाना चाहिए। इस मामले में, 13 अधिसूचित रिक्तियों के भर जाने के बाद, चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई, इसलिए आगे किसी नियुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं रह गई।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. श्री ठाकुर द्वारा उद्धृत *एस.एस. बालू और अन्य*[3] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चयनित उम्मीदवार के अधिकार को और स्पष्ट किया है, जैसा कि अंतर्गत:

"12. इस मामले का एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए नियुक्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता क्योंकि उसका नाम चयन सूची में है। [देखें पिटा नवीन कुमार और अन्य बनाम राजा नरसैया जांगिटी]। नियोक्ता के रूप में

33

राज्य को सभी पदों को भरने या न भरने का अधिकार है। जब तक रिक्तियों को भरने के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाता या मनमानी नहीं की जाती, संबंधित उम्मीदवार को परमादेश याचिका या परमादेश याचिका प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। [देखें बतियारानी ग्रामिया बैंक बनाम पल्लव कुमार]। शंकरसन डैश बनाम भारत संघ मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 50-51, पैरा 7)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए रिक्तियों की संख्या अधिसूचित की जाती है और पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति का एक अविभाज्य अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसे वैध रूप से नकारा नहीं जा सकता। सामान्यतः अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने का आमंत्रण होती है और उनके चयन पर उन्हें पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक संबंधित भर्ती नियमों में ऐसा संकेत न दिया गया हो, राज्य सभी या किसी भी

रिक्ति को भरने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य को मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट प्राप्त है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से सद्भावनापूर्वक लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियों या उनमें से किसी को भरा जाता है, तो राज्य भर्ती परीक्षा में परिलक्षित उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. श्री कोटेचा द्वारा उद्धृत *'ईस्ट कोस्ट रेलवे'* मामले में, कानून के सुस्थापित सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

"13. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि किसी भी उम्मीदवार को केवल परीक्षा में उपस्थित होने या चयन सूची में स्थान पाने मात्र से किसी पद पर अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, फिर भी राज्य को किसी पद पर नियुक्ति से इनकार करने का पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यह निर्णय मनमाने ढंग से लिया गया हो या चयन प्रक्रिया के अंत में

तैयार की गई योग्यता सूची में उम्मीदवारों की योग्यता को नजरअंदाज किया गया हो। राज्य द्वारा नियुक्ति न करने का निर्णय एक ऐसा मामला है जिसकी न्यायिक पुनर्विलोकन सक्षम रिट न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। यदि ऐसा कोई निर्णय वास्तव में मनमाना पाया जाता है, तो इस मामले में उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं।"

13. इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में निर्विवाद रूप से एक समान बात यह है कि, किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई अविभाज्य अधिकार नहीं है, भले ही उसका नाम चयन सूची में हो। हालांकि, यदि मनमानी, भेदभाव या उम्मीदवार की योग्यता की अनदेखी की गई हो, तो न्यायालय रिट के माध्यम से उचित निर्देश जारी कर सकता है। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने योग्यता सूची में दिए गए उम्मीदवारों की योग्यता की अनदेखी के आधार पर, किसी भी भेदभाव की ओर इशारा नहीं किया है। दूसरा, नियुक्ति करने में कोई पक्षपात नहीं किया गया और न ही कोई मनमानी या भेदभाव हुआ, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि चयन सूची की अवधि समाप्त हो गई थी इसलिए काउंसलिंग में उपस्थित किसी भी उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार वर्तमान मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिकाकर्ताओं का अंतिम तर्क यह है कि यदि दुर्भावना का आरोप है, तो मामले को प्रारंभिक चरण में ही, दुर्भावना के आरोप के आरोपी व्यक्ति को अवेक्षा जारी किए बिना, खारिज नहीं किया जा सकता। इस याचिका में किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, सिवाय इसके कि "जब पद रिक्त थे और योग्य उम्मीदवार उपलब्ध थे, तो उत्तरवादी संख्या 2 का आधिकारिक क्षमता में और उत्तरवादी संख्या 3 का व्यक्तिगत क्षमता में यह कर्तव्य था कि वे चयन सूची की समय सीमा के भीतर पद भरें और उन्हें मनमाने ढंग से चयन सूची की अवधि समाप्त नहीं होने देनी चाहिए थी। "वर्तमान मामले में, क्योंकि उत्तरवादी संख्या 3 के दुर्भावनापूर्ण इरादे और गुप्त मंशा के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। उत्तरवादी संख्या 2 शिक्षा कर्मी ग्रेड 3 के नियुक्ति प्राधिकारी हैं और उन्हें नियुक्ति आदेश जारी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उत्तरवादी संख्या 3 को ज्ञात कारणों से नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपर्युक्त कथन किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध दुर्भावना के गंभीर आरोप के दायरे में नहीं आते। उपरोक्त आरोप गंभीर आरोप की श्रेणी में नहीं आता। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ताओं ने प्रथम दृष्टया आरोप भी सिद्ध नहीं किया है, इसलिए किसी अवेक्षा की आवश्यकता नहीं है। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा

'यादविनरा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन' पर अवलंब लेना, इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

16. उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए और मामले के तथ्यों पर उपर्युक्त सुस्थापित कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए, याचिका में कोई सार नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu